न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 180/2019 (2019/00180) जिला–अजमेर

रतनलाल पुत्र रूपा जाति खटीक, निवसी हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला–अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ दिनांक 19–06–2018
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 1133/2018

————

उपस्थित– 1. श्री समीर अहमद अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 11–07–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हरमाड़ा में राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2018 स्वीकार कर अशुद्ध प्रविष्टि खसरा नम्बर 702/1570 के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि खसरा नम्बर 703/1570 राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–2018 की अपीलर्थी को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पक्षकार ही नहीं था परन्तु जब दिनांक 25–6–2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलर्थी के खेत में घुसकर जबरन मेढ को तोड़ देने तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी कर नकल लेने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई उक्त आदेश की नकल लेकर अपीलार्थी अपने घर गया तथा दिनांक 18–7–2019 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की धारा–5 मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने गलत रूप से खसरा नम्बर 702/1570 के स्थान पर खसरा नम्बर 703/1570 के बाबत राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थी का न केवल रास्ता रूक गया बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी की भूमि में बनी हुई मेढ़ को भी तोड़ दिया जिसके बाबत अपीलार्थी ने संबंधित पुलिस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 25–6–2019 को दर्ज कराई जो जैर कार्यवाही है इसलिए अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा माननीय

न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य व दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये है जिससे अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी का धारा 96 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलार्थी की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम हरमाड़ा पटवार क्षैत्र हरमाड़ा में स्थित विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या–1 की खातेदारी की आराजियात है जिसका प्रत्यर्थी संख्या–1 खातेदार है हरमाड़ा की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 616 में हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खसरा नम्बर 702/1570 दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 702/2/1570 सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की गलत त्रुटि को सही किया है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी विवादित आराजियात में किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 703 के आस–पास कोई भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 की नहीं है और ना ही प्रत्यर्थी संख्या–1 भूमि खसरा नम्बर 702 का कभी खातेदार रहा बल्कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के केवल रिपोर्ट को आधार बनाकर खसरा नम्बर 702/1570 के स्थान पर खसरा नम्बर 703/1570 को शुद्ध करवा लिया जबकि कानूनन इस प्रकार की दुरूस्ती नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को विधिक रूप से दर्ज ही नहीं किया गया और ना ही उसकी सुनवाई की गई बल्कि केम्प में इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रिपोर्ट लेकर दुरूस्ती की गई जो स्पष्टतया धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 703 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 704, 708 व 709 में आने जाने के उपयोग में काम आ रही है अर्थात उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 703 वर्किंग जमाबंदी में बिलानाम गांव के रास्ते एवं पगडण्डिया दर्ज है इसलिए रास्ते की भूमि के बाबत किसी भी प्रकार से दुरूस्ती की जाकर प्रत्यर्थी संख्या–1 के नाम दर्ज नहीं की जा सकती उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जमाबंदी सम्वत 2067–2070 में उपरोक्त खसरा नम्बर 703/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है परन्तु उसके बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 702/1570 के स्थान पर 703/1570 दुरूस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जो गलत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के पुराने खाता संख्या 106 के नया खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 702 के खातेदार गोकुल पुत्र खेमा हिस्सा 5/8 जाति बलाई, जमना पुत्री खेमा हिस्सा 1/8 जाति बलाई, तीजा देवी पुत्री खेमा हिस्सा 1/8 जाति बलाई, बसन्ती देवी पुत्री खेमा हिस्सा 1/8 जाति बलाई साकिन देह खातेदार दर्ज है इस प्रकार जब खसरा नम्बर 702 के खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तो उन्हें बिना पक्षकार बनाये ही इस प्रकार के खसरा नम्बर 702/1570 के स्थान पर 703/1570 दर्ज किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि उपरोक्त खसरा नम्बर का खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 है ही नही ंतो उसके पक्ष में दुरूस्ती किये जाने का आदेश किस प्रकार किया जा सकता है। कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया बल्कि पटवारी से मिलीभगत करके जिस प्रकार रिपोर्ट बनाई गई है उसके आधार पर आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 703 गैर मुमकिन रास्ता है जो अपीलार्थी एवं अन्य काश्तकारों के आने व जाने में उपयोग में आता है इसलिए अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्णतया व्यथित पक्षकार होने से अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदन कर अपील को गुणावगुण पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम हरमाड़ा स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 702/1570 एवं 703/1570 के खातेदार नहीं है। खसरा नम्बर 703/1570 के नीचे रास्ता चल रहा है। उक्त खसरा नम्बर के जो पड़ौसी खातेदार है उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। खसरा नम्बर 703 जिसका रकबा 6–17–00 है। अपीलार्थी उक्त खसरा नम्बर का रकबा 5 बीघा बता रहे है जो गलत है। विवादित आराजियात अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है जो अपीलार्थी के नाम दर्ज हुआ है। जमाबंदी सम्वत 2052–55 में उक्त खसरा नम्बर 703/2/1570 था जो जमाबंदी सम्वत 2056–59 में 702/2/1570 हो गया जिसे दुरूस्ती करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। खसरा नम्बर 702 से मेरा कोई झगड़ा नहीं है।

पटवारी की गलती से जमाबंदी में खसरा नम्बर गलत अंकित हो गये थे। उक्त लिपिकीय त्रुटि को धारा 136 के तहत दुरूस्त कराई है। खातेदारी का टाईटल व रकबा परिवर्तित नहीं हुआ है विवादित आराजियात अनुसूचित जाति की जमीन नहीं है। अपीलार्थी रास्ता बन्द करने की कह रहे है जो गलत है अपीलार्थी के खेतों में आने जाने का रास्ता चालू है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–06–2018 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष कोर्ट केम्प हरमाड़ा में प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजियात का खाता नम्बर 593 खसरा नम्बर 702/1570 अशुद्ध प्रविष्टि को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 703/1570 को अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अधिनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–6–2018 साईक्लोस्टाईल में छपा हुआ प्रपत्रनुमा आदेश है जो विधिक प्रक्रियानुसार उचित नहीं है। इसके अलावा धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के खाता संख्या 593 वर्तमान प्रविष्ठि (अशुद्ध प्रविष्टि) खसरा नम्बर 702/1570 शुद्ध प्रविष्टि खसरा नम्बर 703/1570 करने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसे पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 702/1570 के चिपते हुए अन्य खसरा नम्बरान के अन्य खातेदारान भी है जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, को भी पक्षकार बनाया जाकर उनको सुना जाना चाहिए था। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ केम्प हरमाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–06–2018 त्रुटिपुर्ण होकर आदेश की परिभाषा में नहीं आता है लिहाजा उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–06–2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1133/2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात से लगते हुए पड़ौसी खातदारान को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तथा तहसीदार रूपनगढ़ से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन कर गुणावगुण पर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर